प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सुक्ष्म सिंचाई)

1. **लाभार्थी के चयन का आधार** – लाभार्थी का चयन **''पहले आओ पहले पाओ''** के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन Submit करने के उपरांत स्वतः होगा। इस योजना अन्तर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु 90 प्रतिशत राशि तथा अन्य किसान हेतु 10 प्रतिशत राशि का प्रावधान कार्य योजना में आरक्षित है। इसके अतिरिक्त कुल योजना राशि का 16 प्रतिशत अनु०जा० पर तथा 1 प्रतिशत अनु०जनजा० पर व्यय किया जाना है।
2. **गुणवत्ता** – कार्यान्वयन अनुदेश में प्रत्येक जिला से कंपनी द्वारा आपुर्ति किये गये सामग्रियों के गुणवत्ता की जाँच हेतु नमूना लेकर CIPET, हाजीपुर में गुणवत्ता की जाँच का प्रावधान किया गया है। ड्रीप इरिगेशन अन्तर्गत पुर्व में बिहार में System Installation के समय सैण्ड फिल्टर एवं हाईड्रोसाईक्लोन फिल्टर का प्रावधान अनुदान गणना में नहीं किये जाने के कारण Install नहीं किया जाता था, जिसके कारण ड्रीप लाइन Salt एवं महिन बालू कण के कारण Chock कर जाता था। इनदोनों फिल्टरों का मूल्य लगभग 14000.00 रूपये आता है। परन्तु अगस्त 2017 में भारत सरकार द्वारा निर्गत नया गाईडलाइन अन्तर्गत इनदोनों अतिरिक्त Accessories पर अलग से अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान प्रस्तावित योजना में इनदोनों अवयवों पर भी अलग से अनुदान का प्रावधान किया गया है।
3. **अनुदान में बढ़ोतरी** – प्रस्तावित योजना अन्तर्गत ड्रीप सिंचाई पद्दति हेतु गत् वर्ष दिये जाने वाले 75 प्रतिशत अनुदान से बढ़ाकर 90 प्रतिशत अनुदान का प्रस्ताव है। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्दति अन्तर्गत अनुदान में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। ड्रीप सिंचाई पद्दति गन्ना, सब्जी, फल एवं फूल की खेती हेतु एक वरदान है। इस पद्दति अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूचक दर पर 12 प्रतिशत GST किसानों को देना होता है। GST पर कोई अनुदान देय नहीं है। गन्ना, सब्जी एवं फूल हेतु भारत सरकार द्वारा सूचक दर 129073.00 रूपये/हे० निर्धारित है। इस पर 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने पर भी किसान को 15489.00 रूपये GST एवं 12907.00 रूपये सूचक दर का अंश यानि कुल 28396.00 रूपये भुगतान किसान अंश के रूप में किया जायेगा। इसके अलावा सैण्ड फिल्टर एवं हाईड्रोसाईक्लोन फिल्टर हेतु किसान को 3080.00 रूपये अलग से भुगतान करना होगा। किसान द्वारा लागत राशि अधिक रहने के कारण इस पद्दति का Installation नहीं कराया जाता था। हमारे पड़ोसी राज्य उतरप्रदेश एवं झारखण्ड में भी सुक्ष्म सिंचाई पद्दति को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखण्ड एवं उतरप्रदेश में भी 90 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। दक्षिण के कुछ राज्यों में अनु०जा० एवं जनजा० हेतु 100 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. **कंपनी को अनुदान भुगतान** – सुक्ष्म सिंचाई पद्दति अन्तर्गत लागत राशि अधिक रहने के कारण अधिकांश किसान पुरा मुल्य भुगतान कंपनी को करने में सक्षम नहीं थें, जिसके कारण गत् वर्षो में इस योजना का व्यय काफी कम था। पुर्व वर्षो के अनुभव के आधार पर इस योजना को पुर्ण रूप से GGRC Model के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है। सॉफ्टवेयर बनकर तैयार है। सॉफ्टवेयर से संबंधित विस्तृत कार्यान्वयन विवरण संलग्न है।